[illegible] 15-2010 [illegible]

प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंक

[illegible] उपविधियां

क्र. उपनिबंधक [illegible] दिनांक [illegible]

११. [illegible] नागरिक सहकारी बैंक मर्या. [illegible]

[illegible] कार्यालय

[illegible] स्थानांतरण [illegible] के लिए [illegible] में परिवर्तन की अधिसूचना [illegible]

[illegible] स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित [illegible]

[illegible]

[illegible] प्रबंधक [illegible] सहकारी [illegible] अधिकारी [illegible]

[illegible]

[illegible] 10 [illegible]

[illegible]

[illegible] बैंक की उपविधि [illegible]

[illegible] नियुक्त एवं संचालक [illegible]

[illegible] नियुक्त [illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible]

"व्यक्ति" से तात्पर्य किसी व्यक्ति ... भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन धारा ... पंजीकृत भागीदारी फर्म, कम्पनी ... नियम, निकाय ... के अधीन ... अथवा ... सहकारी संस्था ... के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों के अतिरिक्त ... अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था ... किसी विधि के अधीन ...

[illegible]

...

6. ... अनुमति ... अन्य प्रतिभूतियां ... कमीशन ... आदि ...

... की ओर से ... अन्य ... की प्रतिभूतियां ...

10. ... इत्यादि के लिये ... रूप में भी सभी प्रकार के ...

... प्राप्त करना ।

... व्यवस्था करना ।

... प्रतिभूति ... करना तथा ... करना ।

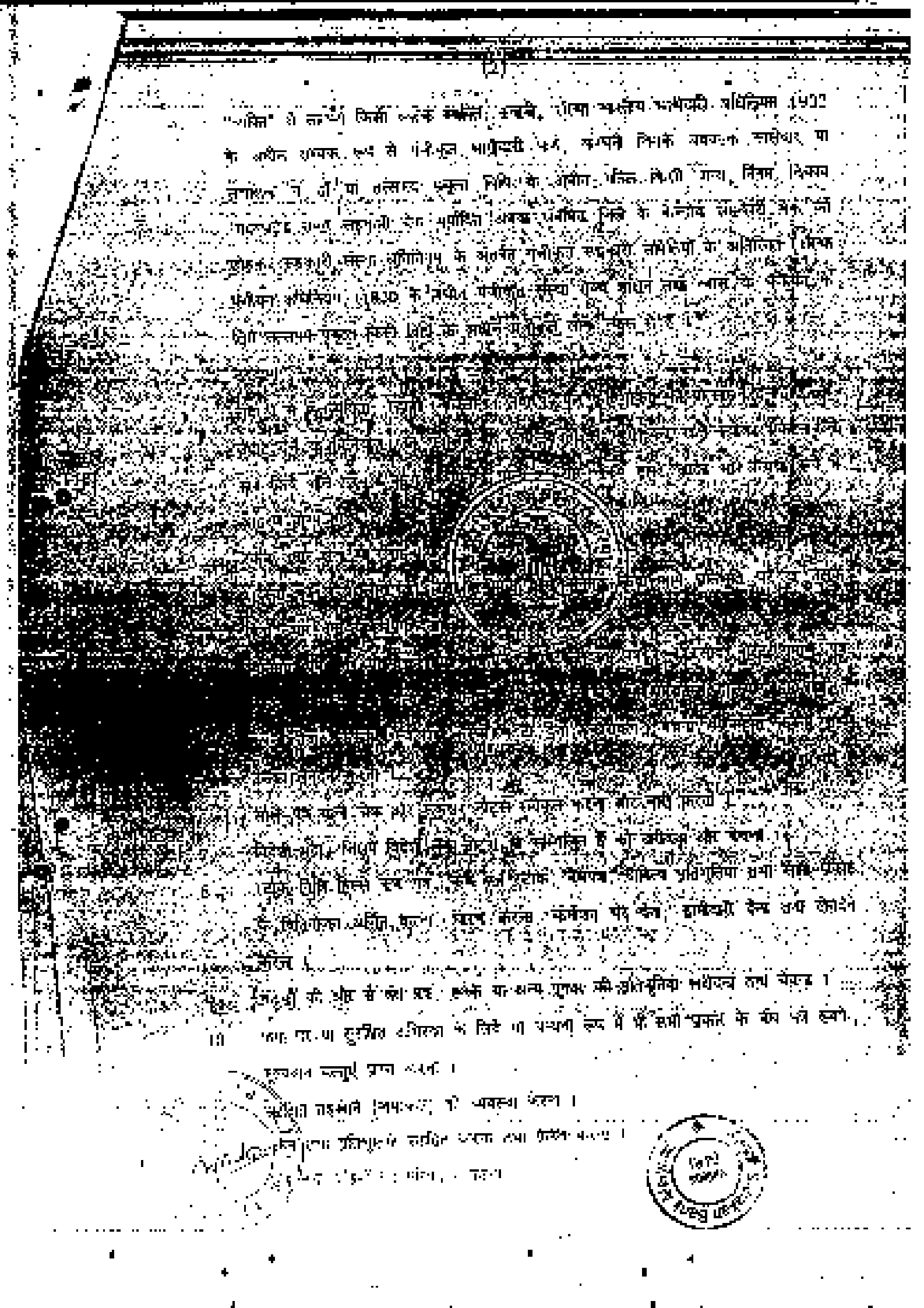

...

... की स्थापना तथा ... [illegible]

[illegible]

15. राज्य, नगर पालिका या किसी कानूनी ... संस्था, निगम या ... के डिबेंचर, स्टाक, ऋण पत्रों, ... की प्रतिभूतियों ... तथा उनका बीमा ... देना ... उसके प्रबन्ध ... तथा ऐसे किसी निधि के प्रयोजन के लिए रकम उधार देना।

16. बैंक के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवन को अर्जित करना, निर्माण करना, उसका रख-रखाव करना तथा परिवर्तन करना।

17. ऐसी किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध, ... विक्रय करना और ... करना जो बैंक के किसी ... [illegible]

[illegible] ... बैंक के कार्य ... तथा ... कार्यालय ... [illegible]

18. [illegible]

[illegible]

24. ... बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी ...) की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार कोई अन्य व्यवसाय करना।

25. ऐसे सभी ... कार्य करना जो इन उद्देश्यों तथा बैंक के कारोबार की वृद्धि या प्रगति के लिए आवश्यक तथा सहायक हों।

26. कोई अन्य प्रकार के कारोबार प्रारंभ करना जिसे केन्द्रीय शासन ... के रूप में विनिर्दिष्ट ... किसी सहकारी बैंकिंग संस्था को करना ... है।

6. [illegible] –

[illegible] के [illegible] की [illegible] :–

[illegible] ([illegible])

2\. [illegible]

3\. [illegible]

4\. [illegible]

5\. [illegible] ([illegible]) तथा [illegible]

6\. [illegible] अनुदान, आर्थिक सहायता [illegible]

7\. अधिकतम उधार [illegible] :–

बैंक की अधिकतम उधार [illegible] तथा लिमिट में [illegible]

तथा [illegible] के 25 [illegible] से अधिक [illegible]

9\. [illegible] ([illegible])

बैंक की [illegible] निम्नलिखित [illegible]

[illegible]

[illegible] और बैंक [illegible] क्षेत्र में [illegible] अथवा उस क्षेत्र के किसी भी [illegible]

[illegible] जाय हो।

(5)

... उन्हें ... में ... रिश्तेदार ... ऐसे ...

... दिया जा सकेगा, न कि —

... व्यक्ति ... कर्मचारी ... के किसी ... में ...

... में ... लगभग ... हों ।

... अथवा व्यक्ति बैंक के ... के कर्मचारी ... किसी कार्यालय में ... हों ।

... अथवा व्यक्ति ... बैंक ... ।

... किया ... एवं ... आवेदन पत्र ... अनुमोदित किया गया ।

... शर्तें ...

(3) ...

[illegible]

3. [illegible]

[illegible] अनुसार [illegible] नहीं [illegible]।

11. हिस्सा (शेयर) प्रमाण पत्र :

प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक अंकित मूल्य [illegible] हिस्सा प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हक होगा, जिसमें हिस्सा/हिस्सों और उनकी विशिष्ट संख्या का उल्लेख रहेगा। हिस्सा प्रमाण-पत्र पर अध्यक्ष या [illegible] से प्राधिकृत किसी संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिस्सा प्रमाण-पत्र पर बैंक की सील लगी होगी।

12. हिस्सों का अंतरण :

1. कोई भी सदस्य अपना हिस्सा या हिस्से [illegible] संचालक मंडल [illegible] अनुमोदित किसी भी सदस्य को अन्तरित कर सकेगा। अन्तरण तब तक नहीं होगा जब तक कि अन्तरित [illegible] और प्रति हिस्सा 2 रुपये की दर से अन्तरण फीस का भुगतान न कर दिया हो।

2. यदि कोई प्रमाण पत्र [illegible] जाता है, [illegible] जाता है तो उसके [illegible] करने पर [illegible] [illegible] संचालक मंडल द्वारा मान्य माना जाए।

[illegible] हिस्सा/हिस्सों का अन्तरण म.प्र. सहकारी [illegible] अधिनियम 1960 के [illegible]

13. [illegible]

1. कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकेगा और संचालक मण्डल के अनुमोदन से अपनी पूंजी वापस ले सकेगा किन्तु बैंक के सभी सदस्यों के मामले में [illegible] अनुमोदन नहीं दिया जायेगा। हिस्सों की वापसी मध्यप्रदेश सहकारी संस्था नियमावली, 1962 के नियम 27 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। परन्तु कि ऐसे आहरणों (विड्रॉवल्स) से परिवर्तन [illegible] शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों (रिजर्व्स) का [illegible] अथवा विनिर्दिष्ट [illegible] बैंकिंग विनियमन 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 11 (1) के अनुसार [illegible] से कम न हो जाता हो।

[illegible] [illegible] [illegible]

(क) [illegible] [illegible] दिवाला [illegible] [illegible] [illegible] से उसका [illegible] [illegible] होने पर,

(ख) न्याय निर्णित दिवालिया हो जाने पर या सदस्य को होने के लिए शेष रूप से अयोग्य ठहराये जाने पर।

(ग) इन नियमों के अधीन निर्धारित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर।

(घ) सभी हिस्सों का अंतरण करने पर।

(ङ) सदस्यता से त्याग पत्र देने या सदस्यता [illegible] लेने पर, बशर्ते कि उसे स्वीकार [illegible] लिया गया हो।

किसी भी हिस्साधारी सदस्य को [illegible] सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 15 (1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित रीति द्वारा निष्कासित किया जा सकता [illegible] निष्कासित सदस्य द्वारा धारित हिस्से वापस किए जा सकेंगे। किसी हिस्साधारी सदस्य को हिस्सों का अन्तरण निम्नलिखित [illegible] अनुसार किया जा सकेगा :-

(क) यदि [illegible] [illegible] बैंक को [illegible] [illegible]

[illegible] हिस्सों का अंतरण [illegible] करना चाहता हो [illegible]

[illegible] सदस्य अपनी मृत्यु के पश्चात् बैंक में [illegible] का हित प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकेगा। मनोनयन विहित फार्म में [illegible] [illegible] किया जायेगा [illegible] [illegible] किया जाने वाला [illegible] बैंक को [illegible] है तो बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

मनोनयन रद्द किया जा सकता है और तथा मनोनयन बैंक को [illegible] [illegible] लिखित सूचना देकर तथा प्रत्येक [illegible] मनोनयन के लिए [illegible] की निहित फीस का भुगतान करने पर, [illegible] भी नहीं किया जा सकेगा।

15. हिस्साधारी की मृत्यु :-

किसी भी हिस्साधारी की मृत्यु होने पर बैंक ऐसे मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को, बैंक में हिस्साधारी के हितों के मूल्य की राशि का भुगतान, हिस्साधारी की मृत्यु से छह महीनों के भीतर कर [illegible] [illegible] के अभाव में [illegible] ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो [illegible] [illegible] [illegible] उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि के रूप में राशि प्राप्त करने के लिए [illegible] प्रतीत हो, उनके

[illegible] के तहत [illegible] निदेश [illegible]

[illegible] और [illegible] किया [illegible]

[illegible] तथा [illegible]

[illegible] किया ।

[illegible] का दायित्व

हिस्सेदार का दायित्व [illegible] की [illegible]

[illegible] जिम्मेदारी [illegible] है । भूतपूर्व हिस्सेदार का दायित्व, [illegible] तक भी

उसके हिस्सेदार न रहने के [illegible] हिस्सेदार न रहने की तारीख से [illegible] वर्ष की

अवधि के लिए बना रहेगा । मृत हिस्सेदार की सम्पत्ति [illegible] की [illegible] के लिए

[illegible] रहेगी ।

17. हिस्सों, लाभांशों तथा अन्य राशियों पर ग्रहणाधिकार

बैंक को किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा [illegible] पर [illegible] के लिए

उसके सभी हिस्सों, लाभांशों तथा अन्य राशियों पर बैंक का प्रथम और सर्वोपरि [illegible]

[illegible]

[illegible] सामान्य लाभांश और विशेष लाभांश

[illegible]

[illegible] अथवा [illegible]

[illegible] ।

(ii) विशेष लाभांश [illegible] निदेशक मण्डल द्वारा किसी भी समय [illegible] । ऐसी [illegible]

[illegible] हिस्सेदारों को हिस्सेदारी के 1/10 भाग जो भी [illegible] हो, [illegible] मण्डल

[illegible] अध्यक्ष को भी [illegible] लिखित [illegible] सहकारी संस्थाओं के पंजीयक [illegible] की [illegible]

[illegible] जा सकेगी ।

9. वार्षिक साधारण बैठक का कार्य :-

वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य [illegible] :

1. लेखा परीक्षा [illegible] बिवरण, [illegible] वर्ष का [illegible] हिसाब [illegible] और [illegible] हानि [illegible] तथा [illegible] दिन [illegible] की [illegible] के [illegible] संचालक मण्डल के प्रतिवेदन पर विचार करना।

2. लाभ के विभाजन की मंजूरी देना और संचालक मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम तथा नियमों में विहित दर से अनधिक दर पर लाभांश की घोषणा करना।

3. संचालक और/या लेखा परीक्षक के द्वारा [illegible] लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुत [illegible] पर विचार करना।

4. संचालक मण्डल द्वारा आगामी वर्ष [illegible] तैयार किये गये [illegible] के कार्यक्रमों को अनुमोदित करना।

5. संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव [illegible]।

6. यह सुनिश्चित करना कि [illegible] निर्धारित [illegible] संचालक मण्डल [illegible] सहकारी [illegible]।

7. किसी अन्य विषय पर विचार करना जिसकी [illegible] निर्धारित [illegible] सूचना [illegible] वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उपस्थित [illegible] सदस्यों की [illegible] से कोई भी विषय [illegible] [illegible] [illegible] गया हो, न कि [illegible] [illegible] [illegible] तथा [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के पुनर्विचार से संबंधित [illegible]।

[illegible] साधारण बैठक में [illegible]

विशेष साधारण बैठक [illegible] [illegible] [illegible] सूचना में [illegible] [illegible] कोई अन्य कार्य [illegible] नहीं किया जायेगा।

21. वार्षिक साधारण बैठक और विशेष साधारण बैठक की सूचना :-

1. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना बैठक की तारीख, [illegible] स्थान, लेखा परीक्षित विवरण, जिसमें [illegible] विवरण और लाभ तथा हानि लेखा शामिल हों और संचालक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक [illegible] सदस्य के पंजीकृत पते पर बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी।

2. सदस्यों या सहकारी संस्थाओं के पंजीयक द्वारा मांग करने के 30 दिनों के भीतर विशेष साधारण बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। बैठक बुलाने की सूचना में [illegible] निर्दिष्ट कार्य का उल्लेख होगा और बैठक में केवल उसी कार्यसूची पर विचार किया [illegible] सदस्य [illegible] के पंजीकृत पते पर बैठक की तारीख से कम [illegible] दिन पूर्व भेजी जायेगी।

[illegible]

[illegible] सूचना [illegible] [illegible] आवश्यक [illegible] सूचना [illegible]

तारीख तथा समय की भी सूचना में उल्लेख किया जायेगा। [illegible]

हितधारी सदस्यों को सूचना का [illegible] न होना [illegible] साधारण बैठक की [illegible] को

अवैधानिक करने का कोई आधार नहीं माना जायेगा।

5. बैठक की सूचना पर बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

22. गणपूर्ति

साधारण बैठक की गणपूर्ति पचास सदस्यों अथवा हितधारी सदस्यों की कुल संख्या 1/10 [illegible] जो भी कम हो होगी। किसी भी बैठक में कोई भी [illegible] तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा जब तक गणपूर्ति न हो।

23. वार्षिक साधारण बैठक का [illegible] तथा विशेष साधारण बैठक का स्थगन

साधारण बैठक बुलाने के लिए [illegible] गणपूर्ति के अभाव में, बैठक उस तारीख [illegible] के लिए स्थगित हो जायेगी, जो बैठक की सूचना [illegible] हो।

[illegible] के भीतर गणपूर्ति [illegible] स्थगित [illegible] तथा बुलाने के [illegible]

[illegible]

[illegible] गणपूर्ति [illegible] के लिए विशेष साधारण बैठक बुलाई [illegible] कोई [illegible] नहीं किया जायेगा।

यदि, हितधारी सदस्यों की मांग पर बुलाई गई विशेष साधारण बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो, तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

24. साधारण बैठक का अध्यक्ष :-

[illegible] मण्डल का अध्यक्ष साधारण बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित [illegible] के लिए एकमात्र हितधारी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने बीच में से किसी एक का चुनाव करेंगे।

25. मताधिकार :-

1. प्रत्येक हितधारी सदस्य को केवल एक [illegible] देने का अधिकार होगा [illegible] धारित [illegible] शेयरों की संख्या कितनी भी हो।

2. [illegible] हितधारी [illegible] [illegible] किसी [illegible] के अधीन [illegible] अन्य निगम निकाय हो [illegible], जो हितधारी [illegible] बैठक में भाग लेने तथा मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने [illegible] पदाधिकारियों या अधिकारियों में से एक को नियुक्त कर सकेगा।

[illegible]

[illegible] हो [illegible]

संकल्प

[illegible] किया जायेगा ।

किन्तु यदि [illegible] 10 सदस्य भारी [illegible] द्वारा [illegible] पर व्यवस्था की जायेगी ।

[illegible] में [illegible] निम्नलिखित के संबंधित [illegible] प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे :-

(क) [illegible] साधारण बैठक में पारित [illegible] साधारण सभा के सम्मुख [illegible] पारित होने की तिथि से [illegible] की [illegible] पारित [illegible]

[illegible]

साधारण बैठक की कार्यवाही [illegible] में दर्ज की जायेगी ।

बैठक की कार्यवाही [illegible] की कार्यवाही [illegible] उसकी पुष्टि की [illegible]

[illegible] 18 [illegible] अधिक नहीं [illegible] निर्वाचित [illegible]

[illegible]

[illegible] संचालकों

[illegible] के लिये [illegible] नियंत्रण [illegible]

[illegible]

[illegible] सचिव [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] है ।

[illegible] संचालक मंडल के उपबंध 11 [illegible]

[illegible] चाहे [illegible] अथवा [illegible]

[illegible] । संचालक मंडल में महिला सदस्यों के [illegible] की [illegible]

[illegible] महिला सदस्य [illegible] मनोनीत करेंगे।

5 (ए) संचालक मण्डल के उपबंध 11 स्थानों [illegible] नियम के अनुपालन [illegible]

अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी स्थान [illegible] जायेंगे।

(ख) अनुसूचित एवं पिछड़े के सदस्यों के [illegible] एवं [illegible]

सामान्य अथवा मार्जिन [illegible] के सदस्यों के [illegible] द्वारा [illegible] किया जायेगा।

उपबंध 11 [illegible] संचालकों में [illegible] बैंक के [illegible] द्वारा

[illegible] / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित [illegible] के [illegible] में

सम्मिलित किया जायेगा। [illegible]

7 बैंक के संचालक मंडल का [illegible] लाभ अथवा [illegible]

तथा [illegible] सम्बन्धी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] संचालक [illegible] करेगा [illegible]

[illegible] का निर्धारण करेगा । [illegible]

[illegible] प्रावधान [illegible] से [illegible] के [illegible] सकेंगे [illegible]

[illegible] और [illegible] संचालक [illegible] भी [illegible]

[illegible] अध्यक्ष [illegible] सदस्यों के

[illegible] तथा [illegible]

[illegible] के लिए [illegible] करेंगे।

[illegible] निर्वाचन [illegible]

[illegible] के [illegible] के लिए [illegible]

[illegible] अधिनियम [illegible] जिम्मेदारी [illegible]

[illegible] निर्धारित [illegible]

[illegible] किया जायगा :-

[illegible]

[illegible] :-

[illegible]

2. [illegible] नहीं होता है।

3. वह ... [illegible] ... अनुपस्थित रहा है।

4. उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है या वह कानूनी रूप से ... [illegible]

5. वह बैंक में लाभ का कोई पद धारण कर रहा है।

32. संचालक मण्डल में रिक्त स्थान :—

मृत्यु हटाये जाने, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से संचालक मंडल में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति समिति के शेष सदस्यों द्वारा सहयोजन से की जाएगी। सहयोजन उन्हीं सदस्यों में से किया जायेगा जो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियम के अंतर्गत पात्र हों। इस प्रकार सहयोजित सदस्य उसे सहयोजित करने वाली समिति का कार्यकाल समाप्त होने तक पद धारण करेगा।

33. संचालक मंडल की बैठक तथा बैठक की सूचना

संचालक मंडल की बैठक जितनी ही बार कार्य संपादन के लिए आवश्यक हो किन्तु उसकी बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। बैठक की कार्य सूची और ... [illegible] ... तारीख से कम से कम आठ दिन ... [illegible]

34. संचालक मंडल की शक्तियां :—

1. सदस्यता, अंशदान, हिस्सों का अंतरण तथा ... के आवेदनों पर विचार करना।
2. बैंक के सामान्य ... [illegible] ... तथा ... स्वीकृति ... और ऐसी ... मंजूर तथा वहीं अनुमोदित करना।
3. वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट, विवरण तथा लेखे का विवरण तथा अन्य विवरणों को अनुमोदित करना।
4. ऋणों तथा अग्रिमों और ... पर ... देने संबंधी आवेदनों पर विचार करना और उनकी ... तथा शर्तें निश्चित करना।

[illegible] आदेशों में यथानिर्धारित किसी [illegible] के अनुसार बैंक [illegible] के साथ कार्यपालक [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible]

[illegible] किसी समिति, पदाधिकारी या अधिकारी को प्रत्यायोजित [illegible] करना।

सदस्यों द्वारा बैंक के कामकाज संबंधी तथा अन्य [illegible] [illegible] मामलों पर विचार करना तथा उनको [illegible] के लिए की जाने वाली कार्यवाही को अनुमोदित करना।

7. सदस्यों द्वारा बैंक [illegible] कार्यों, संविदाओं, अधिनियमों, [illegible] और [illegible] के संबंध में [illegible] अनुबंध तथा शर्तों में यथोचित परिवर्तन करने [illegible] में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

8. [illegible] तथा न्यासी प्रतिभूतियों, [illegible] अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक [illegible] निवेश को अनुमोदित करना।

9. बैंक की ओर से [illegible] तथा न्यासी प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय [illegible] को [illegible] और [illegible] एक संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संयुक्त रूप से [illegible] [illegible] को [illegible]

[illegible] रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन [illegible]

12. बैंक द्वारा [illegible] के विरुद्ध उत्पन्न [illegible] विवाद, [illegible] या [illegible] के लिए [illegible] रूप से नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को निर्देश करना।

13. बैंक या संस्थान या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा या के विरुद्ध कोई वैध कार्यवाही दायर करना, चलाना, [illegible], समाप्त करना, बंद करना या वापस लेना।

14. वकीलों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति का अनुमोदन करना तथा उनके पारिश्रमिक तय करना।

15. बैंक के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 55 (1) के तहत बनाए गए [illegible] सेवा नियमानुसार अधिकारियों [illegible] और [illegible] स्तर के पदों के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करना और वर्तमान स्तर के पदों के [illegible] और [illegible] स्तर [illegible] की पदोन्नति [illegible] रिक्तियों को भरने के लिए कार्यविधि निर्धारित करना।

16. [illegible] कार्यों के लिए [illegible] अधिकारियों की नियुक्ति करना [illegible]

17. बैंक या [illegible] के लिए प्रतिभूति लेकर या प्रतिभूति के बिना ऋण, अग्रिम, ओवरड्राफ्ट अथवा नकद अग्रिम के भुगतान पर विचार करना।

18. ऐसे वार्षिक बजट अनुमान तैयार करना जिनके भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के उचित और कुशल कार्य-सम्पादन के लिए व्यय कर सकेगा।

19. सभी प्रकार और किस्मों की जमा राशियों को स्वीकार करना।

20. संचालक मंडल एक अथवा दो उप-समिति नियुक्त कर सकेगा, जिसमें अध्यक्ष सहित पांच से अधिक संचालक नहीं होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष इस प्रकार की समिति का अध्यक्ष होगा तथा बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का सदस्य सचिव होगा। [illegible] समिति की शक्तियां और कर्तव्य संचालक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। [illegible]

21. संचालक मंडल के सदस्यों [illegible]

22. [illegible] बैंक के अधिकारियों के संबंध में [illegible]

23. संचालक मंडल ने [illegible] आकस्मिक स्थितियों की [illegible] संचालक को भी [illegible]

24. सम्बन्धित संस्थाओं की सदस्यता को स्वीकार करना।

25. कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि योजना शुरू करना और उसका संचालन करना।

26. जब कभी आवश्यकता हो, विभिन्न समितियों, सम्मेलन निकाय की बैठकों में और सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में उपस्थित होने के लिए बैंक के प्रतिनिधि मनोनीत करना।

27. निम्नलिखित के संबंध में उप-नियम बनाना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें निरस्त या रद्द करना।

(क) सभी प्रकार तथा किस्मों की जमा राशियां।

28. बैंक के विधान से परिचित ऐसे सभी कार्य करना और बैंक के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी गतिविधियां तथा कार्य हाथ में लेना।

[illegible] में [illegible]
[illegible]
नियुक्ति में कोई त्रुटि [illegible]
की सम्यक रूप से नियुक्ति नहीं की गई है।

37. कार्यवृत्त :-

संचालक मंडल, समितियों व उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, यथोचित पुस्तक में अभिलिखित किए जायेंगे, जिसके पृष्ठ क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित होंगे। समिति के अध्यक्ष और बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जायेंगे।

38. अध्यक्ष

अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :-

साधारण सभा की बैठक, संचालक मंडल की बैठक, उप-समिति की बैठक और किसी अन्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

बैंक के सामान्य कार्य [illegible]

[illegible]

[illegible] कर्तव्य निम्नानुसार [illegible]

[illegible] संचालक मंडल के अधिकारों तथा लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही करना।

सामान्य निकाय, संचालक मंडल, [illegible] कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति की बैठक बुलाना और उनमें उपस्थित होना [illegible] पुस्तक में बैठकों के कार्यवृत्त अभिलिखित करना तथा उन पर बैठक के अध्यक्ष सहित अपने भी हस्ताक्षर करना।

बैंक की ओर से पत्र व्यवहार करना।

4. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 नियमों तथा उपविधियों के अधीन यथाविहित रजिस्टर, पुस्तकें, फॉर्म तथा खातों का रख-रखाव।

5. बैंक की सदस्यता तथा अतिरिक्त शेयर्स के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना और उन्हें अपने अभिमत तथा सिफारिशों के साथ संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना।

नामांकन के [illegible] के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं उन पर [illegible] करना।

कर्मों के साथ संयोजन-पत्र प्राप्त करना तथा [illegible] के साथ संचालक मंडल/अध्यक्ष [illegible] करना।

8. आवश्यक [illegible] तथा प्रकार की [illegible] सुविधाओं को जारी करने की व्यवस्था करना।

9. बैंक की ओर से [illegible] संपादित करना।

10. बैंक की नकद रकम, चल तथा अचल संपत्ति, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों तथा अभिलेखों का अभिरक्षण करना।

11. संचालक मंडल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए गए पदों, वेतनमानों तथा भत्तों पर नियुक्ति की गई सीमाओं के भीतर उनके पर्यवेक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए [illegible] कर्मचारी (समिति)/संचालक मंडल के आदेश प्राप्त करना।

12. बैंक कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन करना तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना।

13. सेवा नियमों के अनुसार बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना।

14. जब कभी आवश्यक हो कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी करना।

[illegible] चिकित्सा बिलों तथा अन्य [illegible]

[illegible] अनुमोदित [illegible] व्यय करना।

[illegible] अनुमति [illegible] की व्यवस्था करना तथा अगली बैठक में संचालक मंडल को उसकी सूचना देना।

18. संचालक मंडल द्वारा [illegible] सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

19. अनुमोदित प्रतिभूतियों को [illegible] जिसमें अचल संपत्ति शामिल नहीं है 5000/- रु. तक के ऋण स्वीकृत करना। [illegible] यह संचालक मंडल की अगली बैठक के समक्ष स्वीकृत किए गए ऋणों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

20. मुख्य [illegible] :-

मुख्य [illegible], मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संचालक मंडल के [illegible] शक्तियां तथा कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :-

1. [illegible] एवं रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा मानकों एवं प्रारूपों में बैंक का लेखा [illegible] करना।

[illegible]

2\. बैंक के सम्बन्ध अन्य [illegible] में तथा आवश्यक समय–समय पर [illegible] करना ।

4\. बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/संचालक मंडल/शाखा समिति द्वारा [illegible] पर निर्धारित [illegible] करते रहना ।

41- ऋण तथा अग्रिम :–

1\. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किये गये बैंक के [illegible] पर अधिनियम के संगठित नियमों के अधीन सदस्यों को चालू [illegible] पर ऋण [illegible] उधार तथा/या अग्रिम निम्नलिखित प्रतिभूति पर [illegible] अथवा संचालक [illegible] अनुमोदित [illegible] प्रतिभूति या प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना मंजूर किए जा सकेंगे :–

1\. वैयक्तिक प्रतिभूति तथा/या अन्य सदस्य/व्यक्तियों की प्रतिभूति/प्रतिभूतियां ।

2\. चल तथा अचल सम्पत्ति की समाश्रित (कोलेटरल) प्रतिभूति [illegible]

3\. बैंक के पास [illegible] दृष्टिबंधक या प्रभार में रखी औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि संबंधी तथा अन्य [illegible]

[illegible] अन्य/अनुमोदित कम्पनियों के हिस्से (शेयर) [illegible] तथा बैंक [illegible]

[illegible]

[illegible] पॉलिसियों पर ।

[illegible]

[illegible] तथा [illegible] के आभूषण पर ।

(B) ऐसे अन्य [illegible] प्रतिभूतियों पर [illegible]

1\. उपरोक्त [illegible] ऋण नियम [illegible] सकेगा – [illegible] और [illegible] निर्धारित [illegible] समुचित [illegible] तथा शर्तों और विभिन्न [illegible] के लिए [illegible] तथा [illegible] हेतु स्वीकार्य प्रतिभूतियों के स्वरूप का उल्लेख होगा ।

2- अल्पकालीन ऋण 15 माह तक की अवधि के लिए और मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष तथा दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होगा ।

42 अंकेक्षित की जमा राशि में संचय करना :–

(अ) [illegible]

[illegible]

[illegible] पर [illegible] और [illegible] :–

[illegible]
किया जा सकेगा।

(ग) [illegible] जिला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जा सकेगी। यद्यपि किसी [illegible] पूंजी [illegible] मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन की गई [illegible] के [illegible] [illegible] नहीं होगा।

43. जमा राशियां

1\. जमा राशियां सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमों के अधीन निर्धारित सीमाओं के अंदर, ऐसी ब्याज दरों पर ली जा सकेंगी तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों के अधीन जो [illegible] तय किए जायें और [illegible] [illegible] [illegible] जारी किए गये निर्देशों के [illegible]

2\. जमा राशियां [illegible] [illegible] तथा किसी अन्य [illegible] संस्थाओं के अधीन [illegible]

44. कोषों का विनियोजन

[illegible] सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा नियमों [illegible] [illegible] शुद्ध लाभ का विनियोजन निम्नानुसार [illegible] सकेगा

(क) वैधानिक आरक्षित निधि में [illegible] 25 प्रतिशत [illegible] उस [illegible] अन्य [illegible] विनियमित [illegible] जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित हो।

(ख) [illegible] 5 प्रतिशत [illegible] जमा करना।

(ग) [illegible] निधि [illegible] राशि जमा करना।

(घ) [illegible] का [illegible] भुगतान करना जो 6.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या [illegible] सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन तथा [illegible] राशि के [illegible]

(3) [illegible]

[illegible] जाने पर [illegible]

45. प्रावधिक निधि —

1. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अधीन [illegible] के अतिरिक्त [illegible] ग्राहकता शुल्क, [illegible] शुल्क [illegible] की राशि प्रावधिक निधि में जमा की जायेगी।

2. वर्ष के कार्य के शुद्ध परिणाम के रूप में कोई हानि होने पर उसे पंजीयक की पूर्वानुमति से प्रावधिक निधि अथवा आगामी वर्ष [illegible] आगामी वर्षों के लाभों में से [illegible] किया जा सकता है।

3. प्रावधिक निधि का उपयोग म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियम के अधीन पंजीयक के निर्देशों के अनुसार [illegible]

46. लाभांश :—

1. घोषित लाभांश का [illegible] जिसका नाम उस सहकारी वर्ष [illegible] की पुस्तकों में पंजीकृत हिस्सेदार के रूप [illegible]

2. [illegible] सम्पूर्ण महीनों की अवधि के अनुपात में [illegible]

3. लाभांश की राशि बैंक के प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं में [illegible] भुगतान योग्य होगी।

4. यदि कोई लाभांश, उसके घोषित किये जाने के पश्चात् तीन वर्षों तक आहरित नहीं किया जाता है तो वह [illegible] और उसे बैंक की प्रावधिक निधि में [illegible]

5. [illegible] (अनपेड) लाभांश की राशि आवेदन करने पर भुगतान [illegible] की गई हो।

47. लेखा तथा अभिलेख :—

[illegible] द्वारा [illegible] आवश्यक रजिस्टरों [illegible] पंजीयक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा [illegible] लेखे तथा अभिलेख [illegible] बैंक का कोई भी सदस्य [illegible] के दौरान किन्हीं भी [illegible] या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा [illegible] लेन-देन से संबंधित हों।

सदस्यों के ... निर्देश तथा ...

... मुख्य ... के अनुसार ... मुख्य ... अधिकारी ...

के समय ...

(क) ...

... अनुमोदित ... की तारीख से प्रभावशील होगा।

...

जिला भोपाल

[illegible]

९ ... शेखुदीन सैफी

१० ... राहुल चौधरी (...)

११ ... [illegible]

[illegible]

1208/25/3/15

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल

(पंजीयक मुख्य. [illegible] फोन 0755-2548001 ई-मेल jrcbhopal@gmail.com)

क्र./पंजी0/2014/ 286 भोपाल, दिनांक 01/03/2014

:: आदेश ::

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(2) के अंतर्गत)

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(2) के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0 के पत्र क्र./साख/[illegible]/17/13/2403 भोपाल, दिनांक 04.10.2013 से प्राप्त निर्देश अनुसार म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 में हुये संशोधन के कारण नागरिक सहकारी बैंकों की उपविधि क्रमांक 18,19,21(1),25(1),23(1),28(5)(क)(ख)(ग),29(1),30 संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्या. विदिशा पंजीयन क्र. जे0आर0बी0/07/2001 दिनांक 11.04.2001 की आदर्श उपविधि क्रमांक 18,19,21(1),25(1),28(1),28(5)(क)(ख)(ग),29(1),30 में इस कार्यालयीन पत्र क्र./पंजी/13/1233 दिनांक 26.12.2013 द्वारा अध्यादेश संशोधन किया जाने हेतु [illegible] उक्त संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो निर्धारित समयावधि तक आपत्ति पत्र जारी कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित समयावधि में बैंक की ओर से कोई सुझाव/संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बैंक द्वारा प्रस्तावित उक्त [illegible] उपविधियों में संशोधन अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों के अनुरूप है तथा बैंक एवं सदस्यों के हित में है।

अतएव [illegible] पंजीकृत कर प्रतिस्थापित किया जाना [illegible]

[illegible] मैं [illegible] सिन्हा, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल, [illegible] अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत शक्तियाँ जो मुझे म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा मुझे प्रदान की गई है, का प्रयोग करते हुए विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्या. विदिशा पंजीयन क्र. जे0आर0बी0/07/2001 दिनांक 11.04.2001 के संचालक मंडल के यह आदेश/प्रस्ताव है कि संलग्न परिशिष्ट के अनुसार उपविधि 18,19,21(1),25(1),23(1),28(5)(क)(ख)(ग),29(1),30 संशोधित उपविधि आदर्श के अनुसार अनुमोदित/प्रतिस्थापित एवं पंजीकृत करता हूँ। संशोधित एवं पंजीकृत उपविधि की प्रति बैंक के रिकार्ड में सुरक्षित रखने हेतु संलग्न प्रेषित है।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(एस0एस0 सिन्हा)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
भोपाल संभाग भोपाल

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, भोपाल संभाग भोपाल

(... भोपाल फोन 0755-254084, ई मेल – jrc.bhopal@gmail.com)

प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है, विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्या. विदिशा पंजीयन क्र. जे0आर0बी0/07/2001 दिनांक 11.04.2001 की पूर्व पंजीकृत आदर्श उपविधि क्रमांक 18,19,21(1),25(1),28(1),20(5)(क)(ख)(ग),29(1),30 के स्थान पर संशोधित, अनुमोदित एवं पंजीकृत उपविधि क्रमांक 18,19,21(1),26(1),20(1),28(5)(क)(ख)(ग),29(1),30 प्रतिस्थापित की गई है। यह बैंक की पंजीकृत उपविधि होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार संशोधित,
अनुमोदित एवं पंजीकृत उपविधियाँ।

(एस0एम0 सिंगल)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,
भोपाल संभाग भोपाल

क्र./पंजी0/2014/286
भोपाल, दिनांक 01/02/2014

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्या विदिशा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
02. उप/संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ।

(एस0एम0 सिंगल)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,
भोपाल संभाग भोपाल

	जिसकी तथा निर्धारित उचित सूचना दी गई हो। वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों की अनुमति से कोई भी सदस्य ऐसा कोई विषय प्रस्तुत कर सकेगा जो कार्य सूची में शामिल न किया गया तथा सम्मुख रखा गया विषय सदस्य के निष्कासन या बैंक की उपविधियों के संशोधन या उसके निमित्त किसी विषय के पुनर्विचार से संबंधित न हो।	पारण हुए [illegible] के कारणों का [illegible] करना। (ज) लेखापालों के [illegible] के लिए कार्यक्रम की नियुक्ति करना।	
21	वार्षिक साधारण बैठक और विशेष साधारण बैठक की सूचना :- 1. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, बैठक की कार्य सूची, लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, जिसमें चिट्ठा, लाभ और हानि तथा हानि लेखा शामिल है और संचालक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक हिस्सेदारी सदस्य के पंजीकृत पते पर बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी।	वार्षिक साधारण बैठक और विशेष साधारण बैठक की सूचना :- 1. साधारण सम्मेलन की सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख एवं समय के साथ ही सम्मेलन में किये जाने वाले काम काज के विवरण के साथ सम्मेलन की तारीख से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा भेजी जायेगी एवं सूचना बैंक के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी	(म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम- 2012 के अनुसार)
	प्रत्येक हिस्सेदारी सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा चाहे उसके द्वारा धारित हिस्सों की संख्या कितनी भी हो।	2. प्रत्येक हिस्सेदारी सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा चाहे उसके द्वारा धारित हिस्सों की संख्या कितनी भी हो। परन्तु ऐसा सदस्य जो लगातार [illegible] उपस्थित नहीं है उसे संचालक मण्डल के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।	(म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम- 2012 के अनुसार)
28(1)	संचालक मण्डल :- 1. संचालक मण्डल में बैंक के अंशधारी सदस्यों में से निर्वाचित किये जाने वाले संचालक 12 से अधिक नहीं होंगे। परन्तु बैंक मुख्यालय से बाहर जहाँ बैंक की एक या अधिक शाखायें हैं तो उनके कार्यक्षेत्र में रहने वाले बैंक के अंशधारी सदस्यों में से कम से कम 02 संचालक चुने जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बैंक की दो से अधिक शाखायें हैं, तो शाखाओं को इस तरह से समूहीकृत किया जाएगा कि प्रत्येक समूह के अंशधारी संचालकों के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मण्डल का निर्माण कर सकें। बैंक के संचालक मण्डल में पूर्ण व्यावसायिक के अधिकार वाले कम से कम 02 संचालक (वृत्तिक) होंगे। जिनके पास [illegible] संबंधित [illegible] अनुभव [illegible] वित्त / वरिष्ठ [illegible] बैंक लेखाकर्म या [illegible] जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो।	संचालक मण्डल — 1. संचालक मण्डल में बैंक के अंशधारी सदस्यों में से निर्वाचित किये जाने वाले संचालक 12 से अधिक नहीं होंगे। परन्तु बैंक मुख्यालय से बाहर जहाँ बैंक की एक या अधिक शाखायें हैं, तो उनके कार्यक्षेत्र में रहने वाले बैंक के अंशधारी सदस्यों में से कम से कम 02 संचालक चुने जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बैंक की दो से अधिक शाखायें हैं, तो शाखाओं को इस तरह से समूहीकृत किया जाएगा कि प्रत्येक समूह के अंशधारी संचालकों के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मण्डल का निर्माण कर सकें। विलोपित	(म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम- 2012 के अनुसार)

29	संचालक मण्डल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष—1. संचालक मण्डल अपनी वार्षिक साधारण बैठक के सम्पन्न होने वाली पहली बैठक में उपविधि क्रमांक [redacted] के अनुसार दो अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में नामांकन करेगा, एवं ऐसी बैठक में संचालकों में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऐसी बैठक, वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पांच दिनों के भीतर आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष मण्डल की सभी बैठकों की, वार्षिक साधारण बैठक और विशेष साधारण बैठक की भी, जब वे बैठक बुलाई जायें, अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित संचालकों में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।	संचालक मण्डल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष—1. संचालक मण्डल निर्वाचन के पश्चात आयोजित अपनी वार्षिक साधारण बैठक में होने वाली पहली बैठक में निर्वाचित संचालकों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ऐसी बैठक, वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पांच दिनों के भीतर आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष मण्डल की सभी बैठकों की वार्षिक साधारण बैठक और विशेष साधारण बैठक की भी, जब वे बैठक बुलाई जायें, अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संचालकगण उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित संचालकों में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।	म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुसार
30	संचालक के रूप में चयन के लिए पात्रता—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत पात्र जिम्मेदारी सदस्य ही संचालक पद पर निर्वाचित हो सकेगा।	संचालक के रूप में चयन के लिए पात्रता—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2012 की धारा 48(7) के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो उधार लेने वाला सदस्य है समिति के संचालक के रूप में सहयोजित या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा।	म.प्र. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुसार

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता
भोपाल संभाग भोपाल

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, [illegible] संभाग भोपाल

[illegible]

[illegible] / कक्ष / पंजीo / 2012 / 1022 भोपाल, दिनांक [illegible]

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक / जेoआरoबीo / 07 / 2001 दिनांक 14.04.2001 (आगे जिसे केवल बैंक कहा गया है) की पूर्व की उपविधि क्रमांक–04 के स्थान में संशोधन हेतु बैंक की आमसभा दिनांक 23.04.2011 में स्वीकृत / संशोधित उपविधि स्वीकृत, पंजीकृत एवं प्रतिस्थापित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। संशोधन प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत बैंक द्वारा प्रस्तावित उक्त उपविधियों में सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप [illegible] उपरांत स्वीकृत / पंजीकृत कर प्रतिस्थापित किया जाना बैंक एवं सदस्यों के हित में [illegible]

[illegible] एस.एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल [illegible] सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त [illegible] कि [illegible] सहकारिता विभाग [illegible] दिनांक [illegible] 2010 [illegible] द्वारा प्रत्यायोजित [illegible] विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित विदिशा की पूर्व पंजीकृत उपविधि [illegible] अनुमोदित एवं पंजीकृत कर प्रतिस्थापित करता हूँ। [illegible] संशोधित उपविधियों की प्रति [illegible] में सुरक्षित रखने हेतु संलग्न [illegible]

[illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] एवं कार्यालयीन [illegible] से जारी किया गया है।

सही / –
(एसoएनo कोरी)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें
भोपाल संभाग, भोपाल

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल

(म0प्र0, ...)

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा पंजीयन क्रमांक/जे0आर0वी/07 दिनांक 11.04.2001 की पूर्व पंजीकृत उपविधि क्रमांक उपविधि क्रमांक 03 के स्थान पर अनुमोदित संशोधित एवं पंजीकृत उपविधि क्रमांक उपविधि क्रमांक–03 प्रतिस्थापित की गई है। यह सभी बैंक की पंजीकृत उपविधि होगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार संशोधित, अनुमोदित एवं पंजीकृत उपविधियां।

(एम0एल0 कोरी)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
भोपाल संभाग भोपाल

क्रमांक/नाग0बैंक/उपविधि संशो0/पंजी/2012/[illegible] दिनांक 3 /09/2012

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष विदिशा नागरिक सहकारी बैंक मर्या0 विदिशा की ओर पालनार्थ एवं तद्नुसार संशोधित अनुमोदित एवं पंजीकृत उपविधियां बैंक रिकार्ड में सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0 भोपाल।
3. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
भोपाल संभाग भोपाल

प्रारूप डी / ख

(नियम 7 का उपनियम (3) देखिये)

संस्था का नाम : नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.)

पंजीयन क्रमांक : डी.आर.बी. / 07 / 2001 दिनांक 11.06.2001

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	प्रस्तावित उपविधि की शब्दावली	संशोधन का कारण
1	2	3	4
3	कार्यक्षेत्र- बैंक का कार्यक्षेत्र विदिशा नगर पालिका सीमा तक सीमित होगा । इस संबंध में परिवर्तन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के 10.10.96 के परिपत्र क्रमांक यू.बी.डी.आर.बी.आई. (आर.सी.एस.)...04.00.95-96 में निर्धारित... पंजीयन अधिकारी व भारतीय रिजर्व बैंक पंजीयन जिले में कार्यक्षेत्र के विस्तार को बढ़ाने की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।	कार्यक्षेत्र- बैंक का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विदिशा जिला होगा । इस संबंध में परिवर्तन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के 10.10.96 के परिपत्र क्रमांक यू.बी.डी.आर.बी.आई. (आर.सी.एस.) 10/07.01.00.95-96 में निर्धारित... के पंजीयन अधिकारी व भारतीय रिजर्व बैंक पंजीयन जिले में कार्यक्षेत्र के विस्तार को बढ़ाने की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।	कार्य विस्तार की दृष्टि से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नागरिक सहकारी बैंक मर्या.
विदिशा (म. प्र.)

संचालक
नागरिक सहकारी बैंक मर्या.
विदिशा

अध्यक्ष
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
विदिशा (म. प्र.)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, [illegible]-भोपाल

क्र/नाग.बैंक/संशो./पंजी./2001/2567 भोपाल, दिनांक : 11-07-

आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम -1960 की धारा -11(2) के अन्तर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम -1960 (जिसे आगे केवल "अधिनियम" कहा गया है) की धारा-11(1) के अन्तर्गत नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, [illegible] (जिसे आगे केवल "बैंक" कहा गया है) के द्वारा अपनी साधारण सभा [illegible]-04-2001 में बैंक की पंजीकृत उपविधि क्रमांक-28(4) में संशोधन [illegible] के [illegible] संशोधन प्रस्ताव पंजीयन का अनुमोदन तथा पंजीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त मेरा यह समाधान हो गया है कि बैंक की उक्त उपविधि क्रमांक-28(4) में प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है तथा उसको पंजीकृत किया जाना बैंक के हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, [illegible], संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, [illegible] मध्यप्रदेश शासन, [illegible] विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-93/[illegible] दिनांक [illegible] द्वारा अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बैंक की पंजीकृत उपविधि क्रमांक 28(4) बैंक द्वारा प्रस्तावित संलग्न संशोधन अनुमोदित एवं पंजीकृत कर प्रतिस्थापित करता हूँ। अनुमोदित एवं पंजीकृत उपविधि बैंक रिकार्ड में सुरक्षित रखने हेतु संलग्न प्रेषित है।

यह आदेश आज दिनांक 11-07-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
([illegible] सिंह)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, [illegible]-भोपाल

...2...

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सहकारी बैंक, मर्यादित, विदिशा के पंजीयन क्रमांक/डी.आर.वी./07/2001 दिनांक 11.04.2001 को पूर्व पंजीकृत उपनियम क्रमांक 28(4) के स्थान पर संशोधित, अनुमोदित एवं पंजीकृत उपनियम क्रमांक-28(4) प्रतिस्थापित की गई है जो बैंक की पंजीकृत उपविधि होगी।

संलग्न : संशोधित एवं पंजीकृत
उपनियम क्रमांक-28(4)

(पारसनाथ सिंह)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश - भोपाल

क्रमांक/विधि/साख/सी./विधि/2001/2967 भोपाल, दिनांक-11.07.2001

प्रतिलिपि:-

(1) अध्यक्ष, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा की ओर पंजीकृत उपनियम क्रमांक-28(4) सहित प्रेषित।
(2) आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र., भोपाल।
(3) उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला-विदिशा
(4) महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पारसनाथ सिंह)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल

प्रारूप पी/ब

(नियम 7 का उपनियम (3) देखिये)

संस्था का नाम— नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिंड (म.प्र.)

पंजीयन क्रमांक— ...आर.ओ./07/2001 दिनांक 11/04/2001

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के कारण
28 (4)	बैंक के संचालक मण्डल के अधिकतम 11 निर्वाचित सदस्यों में से एक स्थान किसी महिला सदस्य एवं एक स्थान ... सहित एकाउंटेंट अथवा सहकारी बैंकिंग के अनुभवी व्यक्ति के लिए सुरक्षित रखा जावेगा। ... ...महिला ... निर्वाचित न होने की स्थिति में पंजीयक बैंक के महिला सदस्यों में से उसे मनोनीत करेगा।	बैंक के संचालक मण्डल के उपर्युक्त ग्यारह (11) निर्वाचित सदस्यों में से दो स्थान महिला सदस्यों एवं कम से कम दो स्थान बैंकिंग कार्य के अनुभवी व्यक्तियों अथवा ... चार्टर्ड एकाउंटेंट, जिन्हें बैंकिंग ... के लिए सुरक्षित रखे जावेंगे। ... मण्डल में महिला सदस्यों के निर्वाचित न होने की स्थिति में पंजीयक बैंक की महिला सदस्यों में से महिला संचालक मनोनीत कर सकेंगे।	म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार।

संशोधन स्वीकृत एवं पंजीकृत

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
निगम, भोपाल

कमेटी के सदस्य

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

कार्यालय ... बैंक मर्यादित
भिंड (म.प्र.)